आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)
आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल, जे.पी. अस्पताल परिषर, भोपाल

क्रमांक / सी.ई.ओ./ए.बी./2019/83 **भोपाल, दिनांक 25/06/2019**

प्रति,

1. समस्त सिविल सर्जन, सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, म.प्र.।
2. समस्त अधीक्षक, सिविल अस्पताल, म.प्र.।
3. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, म.प्र.।

विषयः—आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. (दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्) योजनांतर्गत शासकीय चिकित्सालयों के कर्मचारियों/अधिकारियों की इन्सेन्टिव राशि के वितरण के संबंध में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा स्थापित सॉफ्टवेयर के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि आयुष्मान भारत "निरामयम्" योजनांतर्गत जून 2019 से विभिन्न चिकित्सालयों के दावों की प्रतिपूर्ति का भुगतान आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, उल्लेखनीय है कि आई.सी.आई.सी.आई. बैंक द्वारा एन.एच.ए. पोर्टल से दावों के भुगतान हेतु एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

भुगतान की उपरोक्त एकीकृत प्रक्रिया हेतु बैंक द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से विभिन्न कर्मचारी/अधिकारियों को इन्सेन्टिव का भुगतान शासन निर्देशानुसार शीघ्र किया जाना संभव हो सकेगा। आगामी दिवसों में एस.एच.ए. स्तर पर लंबित विभिन्न जिला चिकित्सालय/सिविल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से संबंधित दावों की प्रतिपूर्ति संबंधी भुगतान किया जाना है, प्रक्रिया अंतर्गत प्रत्येक चिकित्सालय का इन्सेन्टिव खाता आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में खोला गया है, जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर में उपलब्ध प्रक्रिया अनुसार इन्सेन्टिव की राशि का भुगतान अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके बैंक खातों में किया जायेगा। इस प्रक्रिया हेतु बैंक को प्रत्येक क्लेम प्रक्रिया में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके बैंक खातों सहित अन्य जानकारी की आवश्यकता होगी।

प्रदेश के प्रत्येक जिलें में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की शाखायें स्थित है, बैंक के मुख्यालय द्वारा प्रत्येक जिलें में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बैंक के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उक्त अधिकारी के द्वारा योजना के विशेषकर इन्सेन्टिव वितरण संदर्भ में आपसे संपर्क स्थापित किया जायेगा। आपके द्वारा संबंधित नोडल अधिकारी को चाही गई जानकारियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। यदि इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो एस.एच.ए. स्तर पर पदस्थ श्री मोहम्मद अली खुराजिया, कन्सलटेन्ट के.पी.एम.जी. (मो. नं. 9769311440) एवं श्रीमती रीना यादव, लेखाधिकारी (मो. नं. 7000431581) से सम्पर्क किया जा सकता है।

(डॉ. विजयकुमार जे)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.

पृ. क्रमांक / सी.ई.ओ./ए.बी./2019/84 **भोपाल, दिनांक 25/06/2019**

प्रतिलिपिः—

1. श्रीमती आकांक्षा सेठ, क्षेत्रीय प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की ओर भेजकर लेख है कि आज दिनांक 24.06.2019 को आपके एवं श्री राजीव रंजन के साथ हुई चर्चा के क्रम में आवश्यक कार्यवाही एवं प्रत्येक जिलें में आयुष्मान भारत "निरामयम" योजना अंतर्गत नोडल अधिकारी की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र.